



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ। Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी०ए० / 5816
दिनांक : 31.08.2022

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / सचिव
समस्त सम्बद्ध अनुदानित एवं स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय / संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विशय:- वित्तीय वर्ष / शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदित किये गये छात्र / छात्राओं की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-47/2022/902/26-03-2022-4 (358)/07 टी०सी० 111 दिनांक दो मई का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के द्वारा scholarship portal पर अपलोड की गई निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जो निम्न है-

- 2 विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों का नॉन रिफन्डेबल राशि एवं ट्यूशन फीस को प्रमाणित करते हुए प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3 महाविद्यालयों के प्रोफाईल की फोटों कॉपी, जो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर भरा गया है, जिसमें प्राचार्य / प्राचार्या एवं नोडल अधिकारी का नाम अंकित हैं, के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य / प्राचार्या की छायाप्रति (राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर)।
- 4 NAAC एवं AISHE का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- 5 विषयवार पाठ्यक्रम एवं शुल्क की सूचनाएं जो महाविद्यालय के लॉगिन पर डिजिटली अंकित हैं के सापेक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों का विवरण जो विश्वविद्यालय पोर्टल पर अपलोड किया गया है की छायाप्रति एवं शिक्षकों का अनुमोदन पत्र तथा पाठ्यक्रमों का अनुमोदन पत्र भी प्रेषित करें।

अतः उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त सूचनाएं सत्यापित कर प्रत्येक दशा में दिनांक 03.09.2022 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)
3. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।

कुलसचिव